पासपोर्ट PASSPORT





His andlen REPUBLIC OF INDIA

## भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM
IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY
WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER,
EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE
MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA





डॉ ई. विष्णु वर्धन रेड्डी IFS
Dr.E. VISHMU VARDHAN REDDY, IFS
वेत्रीय पासपोर्ट अशिकारी
Regional Passport Officer
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय
Regional Passport Office
हैदाराबाद/HYDERABAD


पासपोर्ट PASSPORT



भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA



. . . . ..... ..... ENO:302, MEGHANA ENCLAVE, PNO:12/13, PRAGATHI NAGAR PIN: 500090 , TELANGANA , INDIA प्रकान पालपोट का ने. और इसके जारी क्षोने की लिखि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue HYDERABAD विविध सेवा/ MISCELLANEOUS SERVICE टिप्पणी / OBSERVATION भिता / कानूनी अभिनाजक का नाम / Name of Father / Legal Guardian GOWARDHAN SALEM MAKKAM KADIRI 28/08/2014 KPHB, HYDERABAD, MEDCHAL SHARANYA RAVVA HY2071797036919 M1555799 पता / Address



पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/ केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाएं।

चेलावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके घारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए । यह पासपोर्ट घारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरवदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुम हो जाने, चोरी हो जाने अबदा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अबका यदि पासपोर्ट थारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को ताकाल दी जानी चाहिए। विस्तृत पृष्ठताछ के बाद ही बुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION
INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER
THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

